न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं. 03, देवरिया।

उपस्थित– रवि यादव, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 77/2025

CNR No. UPDE010017252025

मनभावती देवी वउम्र लगभग 65 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्यामनरायन
निवासिनी मेहड़ा पुरवां, थाना कोतवाली देवरिया, जिला देवरिया।

.....................पुनरीक्षणकर्ती

प्रति

1 उत्तर प्रदेश राज्य।

2 प्रमोद वउम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र नगीना

3 नगीना वउम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र ठग

4 जितेन्द्र वउम्र लगभग 28 वर्ष पुत्र कमला

निवासीगण मेहड़ा पुरवां, थाना कोतवाली देवरिया, जिला देवरिया।

.................................प्रतिपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

01) पुनरीक्षणकर्ती द्वारा प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध यह दाण्डिक पुनरीक्षण, विद्वान अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 20, देवरिया द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण संख्या 2809/2024, अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मनभावती प्रति प्रमोद व अन्य, थाना कोतवाली, जिला देवरिया के मामले में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत

की गई है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांकित 11.03.2025 से पुनरीक्षणकर्ती/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश पारित किया गया है।

02) संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ती/आवेदिका मनभावती देवी की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदिका की ओर से धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया कि उसके गांव के प्रमोद पुत्र नगीना, नगीना पुत्र ठग से खेत को लेकर पुरानी रंजिश है। ये लोग उन्हें बार–बार जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। दिनांक 15.11.2024 को सायं 5:00 बजे प्रमोद पुत्र नगीना और नगीना पुत्र ठग कुछ बाहरी व्यक्तियों के साथ गोल बनाकर उसके घर में मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए घुस गये। लड़कियों से छेड़खानी करते हुए अंदर कमरे में खींचने लगे। कपड़ा फाड़ दिये, अर्द्धनग्न कर दिये। ईज्जत पर हाथ डालने लगे और अश्लील हरकत करते हुए सुनैना पत्नी बृजेश को अर्द्धनग्न कर उसका मंगलसूत्र छींन लिए और रेंजर साईकिल उठाकर लेकर चले गये। चीख पुकार सुनकर पूजा पत्नी बृजेश उम्र 17 वर्ष अपने मां को बचाने गयी तो उसके साथ भी अश्लील हरकत करने लगे। साथ मेंही प्रमोद पुत्र नगीना व नगीना पुत्र ठग और जितेन्द्र और उसके गोल के लोगों ने भद्दी–2 गालियां देते हुए कहे कि अगर उनकी बात नहीं मानोगी जान से मार देंगे। उसका हाथ टूट चुका है। प्रार्थिनी व उसकी बहू व नातिन उम्र 17 वर्ष जख्मी हो चुके हैं। उक्त घटना के संबंध में उच्चाधिकारियों को व थाना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सदर को प्रार्थनापत्र दे चुकी है तथा इसके पहले श्रीमान् जी को भी एक लिखित तहरीर दे चुकी हैं। परन्तु कोई सुनवायी नहीं होने पर श्रीमान् को पुनः यह आवेदन–पत्र दे रही हूं। उसने जरिये

रजिस्ट्र्ड डाक से भी घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, देवरिया को दी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तब उसने श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर तथाकथित घ टना से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके व उसके परिवार के उपर अपराध संख्या 1075/2024, अन्तर्गत धारा 191 (2), 115 (2), 351 (2), 324 (4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत स्थानीय पुलिस द्वारा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण क्रास केस का प्रकरण है। अतः प्रार्थिनी की ओर से यह प्रार्थना की गयी है कि उसका प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली देवरिया, जनपद देवरिया को आदेशित किया जाये कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विधिसम्मत विवेचना करें एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें।

03) पुनरीक्षण याचिका में दिये गये आधार का समर्थन करते हुए विद्वान अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ती/आवेदिका द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। आलोच्य आदेश उपरोक्त पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर निस्तारित करते हुए आदेश दिनांक 11.03.2025 पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आवेदिका द्वारा सोने की चेन व रेंजर साईकिल छींनने व लेकर जाने की बात कही गयी है, जिसकी बरामदगी बिना पुलिस के संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भी अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। मामला क्रास केस का है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 प्रत्येक दृष्टिकोण से निरस्त होने योग्य है। अतः पुनरीक्षणकर्ती की ओर से यह प्रार्थना की गयी है कि उसकी निगरानी स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 निरस्त कर विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाये कि वे उसके प्रार्थनापत्र पर पुनः

सुनवायी कर उचित आदेश पारित करें।

04) पुनरीक्षणकर्ती की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची सबूत 5ख/1 से फौजदारी प्रकीर्ण संख्या 2809/2024, अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मनभावती प्रति प्रमोद व अन्य, थाना कोतवाली, जिला देवरिया के मामले में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 की सत्यप्रतिलिपि कागज संख्या 5ख/2 लगायत 5ख/3, दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र दिनांकित 03.12.2024 की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/4 लगायत 5ख/5, पुलिस अधीक्षक, देवरिया को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 28.11.2024 की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/6, रजि. रसीद की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/7, मेडिकल रिकार्ड विभाग के पत्र की फोटोप्रति कागज संख्याव 5ख/8, आहत आख्या की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/9, आहत आख्या की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/10, जनसुनवाई संबंधी प्रपत्र की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/11 लगायत 5ख/12, पुलिस अधीक्षक, देवरिया को प्रेषित प्रार्थनापत्र की फोटोप्रति दिनांकित 26.11.2024 कागज संख्या 5ख/13, **थाना प्रभारी महोदय, जिला देवरिया को दिये गये प्रार्थनापत्र की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/14,** प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली देवरिया को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.11.2024 की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/15 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/16 लगायत 5ख/18 दाखिल किया गया है।

05) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पत्रावली में प्रतिपक्षीगण उपस्थित आये। लेकिन उनकी ओर से कोई लिखित आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी है।

06) **राज्य की ओर से** सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर से तर्क दिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्य का परिशीलन कर, पूर्ण रूप से न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग कर पुनरीक्षकर्ती/आवेदिकk का दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया गया है। अवर न्यायालय का आदेश पूर्णतः

विधिपूर्ण है तथा उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

07) सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

08) पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि फौजदारी प्रकीर्ण संख्या 2809/2024, अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पुनरीक्षकर्ती/आवेदिकk मनभावती देवी का कथन है कि दिनांक 15.11.2024 को सायं 5:00 बजे प्रतिपक्षीगण और अज्ञात व्यक्तियों के साथ गोल बनाकर आवेदिका के घर में मां–बहन की गाली देते हुए घुस कर लड़कियों से छेड़खानी किये, कपड़े फाड़ दिये और अर्द्धनग्न कर दिये और अश्लील हरकत करते हुए सुनैना पत्नी बृजेश को अर्द्धनग्न कर मंगलसूत्र छींन लिये और रेंजर साईकिल उठाकर लेकर चले गये। चीख–पुकार पर पूजा अपने मां को बचाने आयी तो उसके साथ भी अश्लील हरकत किये। साथ ही प्रतिपक्षीगण 1 लगायत 3 और उसके गोल के लोगों ने भद्दी–2 गालियां देते हुए कहे कि अगर उनकी बात नहीं मानोगी तो जान से मार देंगे। आवेदिका का हाथ टूट चुका है। प्रार्थिनी व उसकी बहू व उसकी नातिन जख्मी हो चुके हैं। जिसके संबंध में उच्चाधिकारियों को व थाना प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सदर को प्रार्थना पत्र दे चुकी है।

09) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं आवेदिका के कथनानुसार आवेदिका स्वयं व उसकी बहू व नातिन जख्मी हो चुके हैं। जिसके संबंध में आवेदिका की ओर से स्वयं की आहत आख्या कागज संख्या 5ख/9 एवं अपनी नातिन पूजा की आहत की फोटोप्रति कागज संख्या 5ख/10 पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। लेकिन उसके द्वारा एक अन्य महिला सुनैना पत्नी बृजेश जो कि आवेदिका की बहूत है तथा आवेदिका द्वारा उसको भी जख्मी होना गया है, का मेडिकल न कराये जाने के बावत कोई कथन नहीं किया गया है और न ही सुनैना से संबंधित कोई आहत आख्या ही आवेदिका की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है। आवेदिका की ओर से अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं का हाथ टूट जाने का कथन किया गया है, लेकिन आवेदिका की ओर से हाथ टूटने से

संबंधित कोई एक्स–रे रिपोर्ट व एक्स–रे प्लेट आदि नहीं प्रस्तुत की गयी है। जबकि आवेदिका के आहत आख्या कागज संख्या 5ख/9 के अवलोकन से ही विदित है कि उसे संबंधित चिकित्सक डा. शुभम पाण्डेय द्वारा एक्स–रे हेतु सलाह दी गयी है और साथ ही साथ उक्त चिकित्सक द्वारा विशेषज्ञ राय हेतु सर्जन को रेफर करने का मत अंकित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में थाना प्रभारी जिला देवरिया को दिये गये प्रार्थनापत्र की फोटोप्रति पत्रावली पर कागज संख्या 5ख/14 प्रस्तुत की गयी है, के अवलोकन से विदित है कि इस प्रार्थनापत्र पर आवेदिका का न तो अंगूठा निशान अंकित है और न ही प्रार्थनापत्र किस दिनांक को दिया गया है, का ही अंकन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि आवेदिका द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में सुनैना पत्नी बृजेश का मंगलसूत्र छींन लेने व रेंजर साईकिल उठाकर लेकर चले जाने का आरोप लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर से उसकी ओर से अपने पुनरीक्षण याचिका के पैरा 6 में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आवेदिका द्वारा सोने की चेन व रेंजर साईकिल छींनने व लेकर जाने की बात बतायी गयी है। इस प्रकार उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका के स्वयं कथनों में परस्पर विरोधाभास है। जिससे घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो जाता है।

अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 11.03.2025 में दिया गया निष्कर्ष उचित है तथा आलोच्य आदेश न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करके पारित किया गया है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 11.03.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ती मनभावती देवी द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका

निरस्त की जाती है। विद्वान अपर सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 20, देवरिया द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण संख्या 2809/2024, अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मनभावती प्रति प्रमोद व अन्य, थाना कोतवाली, जिला देवरिया के मामले में पारित आदेश दिनांक 11.03.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय एवं आदेश की एक प्रति विद्वान अवर न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पुनरीक्षण याचिका पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार सुरक्षित हो।

दिनांक 20–07–2026

एस.डी./–
(रवि यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, देवरिया।
J.O.CODE.UP6430

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 20–07–2026

एस.डी./–
(रवि यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, देवरिया।
J.O.CODE.UP6430